न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 417/III/2014 विरूद्व आदेश दिनांक 08–01–2014 – पारित – व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, खुरई, जिला सागर – प्रकरण कमांक 37 अ 56/2013–14 अपील

आशाराम पुत्र कपूरे चढ़ार
ग्राम कोटवार रामसागर,
निवासी ग्राम रामसागर तहसील बीना
जिला सागर मध्य प्रदेश ––आवेदक

विरूध्द

भगवान सिंह पुत्र नत्थू कुर्मी
ग्राम रामसागर तहसील बीना
जिला सागर मध्य प्रदेश ––अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री रामबाबू दुबे
अनावेदक के अभिभाषक श्री पी0एस0गुर्जर

आदेश

(आज दिनांक 26 5– 2014 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, बीना, जिला सागर व्दारा प्रकरण कमांक 37 अ 56/2013–14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22–1–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार बीना के समक्ष म0प्र0शासन एंव महिला मुलिया वाई देवा गनेश कुर्मी निवासी रामसागर के

विरूद्व इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदक ग्राम रामसागर तहसील बीना का स्थाई निवासी है एंव पूर्व में ग्राम रामसगर एंव गोची का कोटवार रह चुका है। आवेदक का परिवार 7 पीढ़ियों से कोटवारी कार्य करता आ रहा है इसके पूर्व उसके पिता कोटवार थे इस कारण ग्राम रामसागर उसे कोटवार नियुक्त किया जावे। नायव तहसीलदार बीना ने प्रकरण कमांक 3 अ 56/09–10 पंजीबद्व किया एंव अनावेदक महिला मुलियावाई को आहुत किया, जिसने उपस्थित होकर आपत्ति की कि जब ग्राम रामसागर में कोटवार का पद रिक्त नहीं है तब आवेदक का कोटवार नियुक्ति का आवेदन निरस्त किया जाय। नायव तहसीलदार बीना ने हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 13.09.2010 पारित किया तथा अनावेदक को ग्राम रामसागर के कोटवार पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त कर दिया तथा स्थाई कोटवार की नियुक्ति हेतु इस्तहार जारी करने का निर्णय लिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, बीना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 110/अ 56/09–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–6–11 से नायव तहसीलदार बीना का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण कोटवार की नियुक्ति हेतु पुर्नसुनवाई वावत् वापिस किया।

नायव तहसीलदार के यहॉ प्रकरण वापिस आने पर सुनवाई लम्बित रही। इसी दौरान आवेदक ने अपर कलेक्टर सागर के समक्ष संहिता की धारा 30 के अंतर्गत आवेदन देकर प्रकरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने की मांग की। अपर कलेक्टर सागर ने आदेश दिनांक 20.4.12 पारित किया तथा प्रकरण तहसीलदार खुरई को अंतरित करते हुये दो माह में निराकरण करने के निर्देश दिये। तहसीलदार खुरई ने हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई उपरांत प्रकरण कमांक 3 अ 56/11–12 में आदेश दिनांक 02–09–2013 पारित किया तथा आशाराम पुत्र कपूरे चढ़ार को ग्राम रामसागर का स्थाई कोटवार नियुक्त कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी बीना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी बीना के न्यायालय में अपील क.

37 अ 56/13–14 में दिनांक 11.11.13 को आवेदक ने अपील की प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की । पेशी 8–1–14 को अनावेदक ने आपत्ति का उत्तर प्रस्तुत किया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी अधिकारी ने किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया एंव प्रकरण में आगे की पेशी 22.1.14 में निष्कर्ष दिया कि प्रचलनशीलता पर प्रकरण खारिज करने के स्थान पर गुणदोष पर निराकरण किया जायेगा। अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने लेखी बहस में उन्हीं तथ्यों को दोहराया जो अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों में पूर्व से उपलब्ध है जैसे कि आवेदक के पिता के अवैध किया–कलापों में लिप्त होने का विवरण, अवज्ञा एंव अपचार के कारण निलम्बन अथवा पदच्युत होना आदि तथ्य हैं, जबकि इस प्रकरण में मात्र विचार यह होना कि आवेदक ने अपील की प्रचलनशीलता पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो आपत्ति प्रस्तुत की , जिस पर लिया गया निष्कर्ष कि प्रचलनशीलता पर प्रकरण खारिज करने के स्थान पर गुणदोष पर निराकरण किया जायेगा – यह निर्णय उचित है अथवा अनुचित है ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 44 एंव 42 – अपील की प्रचलनशीलता पर आपत्ति – सर्वप्रथम प्रचलनशीलता पर सुना जाकर निर्णय किया जावेगा, तदुपरांत अपील प्रचलनयोग्य पाये पर गुणागुण पर सुनवाई होगी।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 42 – न्यायालयीन कार्यवाहियों में किन्हीं गलती, लोप या अनियमितता के कारण न्याय नहीं हो पाये, उन कार्यवाही में किसी पूर्वतर प्रकिम पर उठाई गई आपत्ति का प्रथमतः निराकरण करना होगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी बीना ने आवेदक व्दारा अपील की प्रचलनशीलता पर की गई आपत्ति का निराकरण न करने में त्रृटि की है।

4/ अनुविभागीय अधिकारी, बीना के समक्ष आवेदक व्दारा अपील की प्रचलनशीलता पर आपत्ति की गई है कि अनावेदक भगवान सिंह पुत्र नत्थू कुर्मी ने न्यायालय को गुमराह किया है क्योंकि वह पूर्व कोटवार मुलियावाई का देवर अथवा उत्तराधिकारी नहीं है क्योंकि सुकई कुर्मी एंव अमान कुर्मी अलग अलग वॅश के हैं एंव इनसे हुई संतानें अलग अलग हैं अनावेदक ने दोनों के कुर्मी जाति के होने से कुर्मी उपनाम का लाभ लेने का प्रयास किया है और जब अनावेदक पूर्व कोटवार महिला मुलिया वाई के वॅश का नहीं है उसे कोटवार पद पर प्राथमिकता नहीं आती है। उसने यह भी आपत्ति की है कि विचाराधीन मामला केवल महिला मुलियावाई एंव आवेदक के बीच का है इसलिये अनावेदक हितबद्व न होने से अपील करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार खुरई के प्रकरण कमांक 3 अ 56/11-12 में पारित आदेश दिनांक 2-9-13 के अवलोकन पर पाया गया कि यह मामला आशाराम पुत्र कपूरे चढ़ार विरूद्व म0प्र0शासन एंव महिला मुलियावाई वेवा गणेशराम कुर्मी के बीच चला है और निराकृत हुआ है तहसीलदार खुरई के आदेश में अनावेदक पक्षकार नहीं है। अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष हितबद्व पक्षकार माने जाने एंव अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत भी नहीं किया है ।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 44 - 49 - अपील कौन कर सकता है - अपील मूल मामले का ही अगला प्रकम है अपील करने का अधिकार उसी व्यक्ति को होता है जो निचले न्यायालय में मूल मामले में पक्षकार था। तात्पर्य यह है कि आदेश से व्यथित व्यक्ति ही अपील कर सकता है और आदेश से व्यथित व्यक्ति वही माना जा सकता है जो निचले न्यायालय में पक्षकार रहा है, जो व्यक्ति निचले न्यायालय में पक्षकार नहीं है उसे व्यथित नहीं माना जा सकता और उसके विरूद्व वह अपील नहीं कर सकता। (अब्दुल रहीम विरूद्व म्युनिसिपल कमेटी रायपुर 1965 J.L.J. 112 एंव अमल सिंह विरूद्व घनश्याम सिंह 2005 रा. नि. 25 से अनुसरित)

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील करते समय अपीलांट (अनावेदक) ने हितबद्व पक्षकार माने जाने व अपील करने की अनुमति का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अग्राह्य है।

5/ अनावेदक के व्दारा प्रस्तुत तथ्यों अनुसार उसे नायव तहसीलदार बीना ने प्रकरण कमांक 23 अ 56/09–10 में आदेश दिनांक 13.9.10 से अस्थाई कोटवार नियुक्त किया था इसलिये उसे अपील करने का अधिकार है। नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 13–9–10 अनुविभागीय अधिकारी, बीना ने प्रकरण कमांक 110/अ 56/09–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–6–11 से निरस्त कर दिया और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 14.6.11 अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम रूप ले चुका है जिसके कारण अनावेदक व्दारा अस्थाई कोटवारी का पद–धारण समाप्त हो चुका है। मुलियावाई पूर्व कोटवार मृतक है तथा कोटवार की नियुक्ति का प्रकरण अपर कलेक्टर सागर के आदेश दिनांक 28.4.12 से तहसीलदार खुरई को निराकरण हेतु हस्तांतरित हुआ है तथा तहसीलदार खुरई ने आदेश दिनांक 2.9.13 से आवेदक को ग्राम रामसागर का स्थाई कोटवार नियुक्त किया है। विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या स्थाई कोटवार नियुक्ति आदेश के विरूद्व पूर्व में नियुक्त अस्थाई कोटवार अपील कर सकता है ?

> भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 44 एंव 230 – अस्थाई नियुक्त कोटवार को स्थायी कोटवार की नियुक्ति आदेश के विरूद्व अपील करने का हक नहीं है। भूतपूर्व कोटवार हटाया गया। अस्थाई कोटवार की नियुक्ति की गई, ऐसा नवनियुक्त कोटवार मामले में न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही वह समुचित पक्षकार है। (गिरजेश कुमार विरूद्व लखनलाल 2001 रा.नि. 266 एंव चेनदास विरूद्व जोधाराम 1986 रा.नि. 386 से अनुसरित)

किन्तु अनुविभागीय अधिकारी, बीना ने उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुये आवेदक व्दारा प्रस्तुत आपत्ति के तथ्यों पर विचार न करने में त्रृटि की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, खुरई, जिला सागर व्दारा प्रकरण कमांक 37 अ 56/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 22.01.2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर आवेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार की जाती है, परिणामस्वरूप तहसीलदार खुरई के प्रकरण कमांक 3 अ 56/11–12 में पारित आदेश दिनांक 2–9–13 यथावत् रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर